(CNR–UPSK010025952026)

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर।

पीठासीन अधिकारी–(रणधीर सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–{J.O.Code–UP5761},

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–987/2026

राजेन्द्र, उम्र करीब 40 वर्ष, पुत्र नन्दलाल, निवासी ग्राम–पचरा, थाना धनघटा, जिला संत कबीर नगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

सरकार

.....विपक्षी

मु०अ० सं०–357/2026
धारा–351(3), 352, 109, 115(2) बी०एन०एस०
थाना–धनघटा, जिला सन्त कबीर नगर।

दिनांक–14.07.2026–

प्रार्थी/अभियुक्त **राजेन्द्र** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र थाना धनघटा, जनपद संत कबीर नगर, मु०अ०सं०–357/2026, धारा–351(3), 352, 109 एवं 115(2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा रेनू पत्नी पप्पू यादव, ग्राम पचरा, थाना धनघटा, जिला संत कबीर नगर का निवासी है। वादिनी द्वारा दिनांक 02.06.2026 को थाना धनघटा पर इस आशय की सूचना दी गयी कि वादिनी के सगे पटीदार राजेन्द्र पुत्र नन्दलाल व उसकी पत्नी अनीता देवी से पट्टीदारी का रंजिश चल रहा है उसी रंजिश को लेकर दिनांक 29.05.2026 को प्रातः 06 बजे उपरोक्त विपक्षीगण हमे गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे मेरे हल्ला गोहार पर बीच बचाव करने के लिए मेरे पप्पू पुत्र केदार यादव आये तो विपक्षी राजेन्द्र उपरोक्त ने मेरे पति को जान से मारने की नियत से सिर पर फावड़े से जानलेवा प्रहार कर दिया, जिससे मेरे पति को काफी गंभीर चोटे लगी। मैं अपने पति को लेकर मलौली सरकारी अस्पताल गयी जहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल संत कबीर नगर रिफर कर दिया। हम लोग जिला अस्पताल लेकर गये जहां पर डॉक्टर ने चोट की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रिफर कर दिये। मेरे पति का इलाज मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चला। आज तबीयत में कुछ सुधार होने के पश्चात आज सूचना देने आयी हूं। विपक्षी अभी भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अतः उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है। उक्त सूचना के आधार पर संबंधित थाने में प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। वह कथित घटना के दिन अपने घर के दरवाजे के बाहर अपनी पत्नी अनीता के साथ बैठा हुआ था कि इसी बीच वादिनी और उसके पति पप्पू उसके घर के दरवाजे पर लाठी–डण्डा लेकर चढ़ आये और उसे व उसकी पत्नी अनीता को मां–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देने लगे। वह तथा उसकी पत्नी ने मना किया तो वादिनी और उसके पति उसको लाठी–डण्डे से मारने पीटने लगे। उसी मार पीट तथा बीच बचाव में वादिनी के पति को चोट आयी होगी। उसके द्वारा वादिनी के पति पर न तो जानलेवा हमला किया गया है और न ही उसके द्वारा मारने पीटने से वादिनी के पति

को कोई चोटे आयी है, जो चोटे आयी है वह स्वयं से आयी है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वादिनी का पति मंद बुद्ध का व्यक्ति है और वादिनी अपने खेती बाड़ी व अपने परिवार का भरण पोषण व अपने पति की देख रेख अपने स्वंय द्वारा करती है। वादिनी का पति अपने देख रेख करने में सक्षम नहीं है। इसी कारण वादिनी मुकदमा ने मात्र कुछ लोगों के बहकावे में आकर उसको मुल्जिम बना दिया है। चोटहिल को आयी चोटे सामान्य प्रकृति की हैं। वह संभ्रान्त परिवार का व्यक्ति है। वादिनी द्वारा विलम्ब से मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वादिनी द्वारा घटनास्थल का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। वह गरीब तथा उसके छोटे–छोटे बच्चे हैं। जेल में रहने से उसका परिवार भुखमरी के कागार पर आ जायेगा। वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा तथा अपनी जमानत देने को तैयार है। उसका कोई आपराधित इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है और कहा गया है कि अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध की श्रेणी में आता है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा संबंधित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त एवं अन्य पर वादिनी मुकदमा व उसके पति को गाली–गुप्ता देते हुए, जान माल की धमकी देकर फावड़े से वादिनी के पति पप्पू यादव के सिर पर वार कर गंभीर चोटे पहुंचाये जाने का आरोप है। पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय आख्या में चुटहिल रेनू यादव को चोटे साधारण प्रकृति की एवं चुटहिल पप्पू यादव के सिर के अग्रपार्श्व क्षेत्र के मध्य में 6cm का घाव एवं सिर के पिछले हिस्से में सूचन 5x2 एवं सिर के पश्चकपाल क्षेत्र में भी सूजन पाया गया, जो साधारण प्रकृति की होने एवं कठोर व कुंद वस्तु से होना उल्लिखित किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके समर्थन में सचित चिकित्सालय एवं सुविधा क्लीनिक में हुए उपचार की छाया प्रति दाखिल की गयी है। संबंधित थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। अभियुक्त दिनांक 02.06.2026 से जिला कारागार संत कबीर नगर में निरुद्ध है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण–दोष पर कोई मत अभिव्यक्त किये बिना, मेरे विचार से प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र का जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा **मु० 50,000/– रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के **दो प्रतिभू** प्रस्तुत करने तथा निम्नलिखित शर्तों के संबंध में **अण्डरटेकिंग** प्रस्तुत करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये–

1. प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना एवं विचारण में सहयोग करेगा तथा विचारण के दौरान साक्ष्य आने पर बिना किसी अपरिहार्य कारण कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त साक्षियों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त बिना न्यायालय अनुमति के भारत देश नहीं छोड़ेगा।

दिनांक–14.07.2026

(रणधीर सिंह)
[J.O. Code–UP05761]
सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by RANDHEER SINGH
Date: 2026.07.14 17:27:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court